Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 102: Rectification of advance ruling

The Authority or the Appellate Authority ¹[or the National Appellate Authority] may amend any order passed by it under section 98 or section 101, ²[or section 101C, respectively,] so as to rectify any error apparent on the face of the record, if such error is noticed by the Authority or the Appellate Authority ³[or the National Appellate Authority] on its own accord, or is brought to its notice by the concerned officer, the jurisdictional officer, the applicant ⁴[, appellant, the Authority or the Appellate Authority] within a period of six months from the date of the order:

Provided that no rectification which has the effect of enhancing the tax liability or reducing the amount of admissible input tax credit shall be made unless the applicant or the appellant has been given an opportunity of being heard.

O

¹ Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

² Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

³ Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

⁴ Substituted for "or the appellant" by finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

धारा 102: अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि

प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण ¹[या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] ²[यथास्थिति, धारा 98 या धारा 101 या धारा 101ग] के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश में संशोधन कर सकेगा, तािक अभिलेख को देखने से ही प्रकट होने वाली किसी त्रुटि को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी त्रुटि प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण ³[या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक ⁴[या अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण] द्वारा आदेश की तारीख से छह मास के भीतर लाई जाती है:

परन्तु ऐसी किसी परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने, अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की रकम को कम करने के रूप में होता है, को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलाथी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

² वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा "धारा 98 या धारा 101" के बाद अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

³ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

⁴ वित्त (संख्यांक २) अधिनियम, २०१९ (२०१९ का क्रमांक २३) द्वारा "या अपीलार्थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रमावशील नहीं किया गया है।